FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

.....बनाम .....

किस्म मुकदमा– पत्थरगढ़ी नं. ..... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी की ओर से वकील श्री उपबाद सिंह शेखावत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत् मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा ओडियाना पटवार मण्डल ओडियाना तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 1336/505 रकबा 0.3457 हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नही है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ौसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्राथी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त मे दखल दिये मौजा ओडियाना पटवार मण्डल ओडियाना तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 1336/505 रकबा 0.3457 है0/बीघा भ[illegible] पत्थरगढ़ी मुक्ममल तौर पर की जावे। [illegible] 4.5 [illegible] तक पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन [illegible] न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट [illegible] संलग्न पत्रावली हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

Signature Not Verified
Digitally signed by Purshotam Meena
Date: 2021.03.23 12:08:23 IST
Reason: SelfAttested